SHRI GURUDAS DAS GUPTA: We do not want to discuss anything. (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: Why are they shying away from discussion? (*Interruptions*)

SHRI SIKANDER BAKHT: Sir this whole cycle of corruption has got to be brought to an end. (*Interruptions*) They have serialised corruption. (*Interruptions*)

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Mr. Chairman, Sir, the hon. Finance Minister is going to make a statement.....(*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: We will not allow Mr. Manmohan Singh to make any statement. (*Interruptions*) We do not want to listen to him. (*Interruptions*)

SHRI SIKANDER BAKHT: Sir, this vicious circle of corruption has to be broken. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I am afraid, you do not give me any alternative but to adjourn the House. I have no alternative, in the circumstances, except to adjourn the House. The House is adjourned till 12 noon.

The House then adjourned at eight minutes past eleven of the clock, till twelve of the clock.

The House re-assembled at one minute past twelve of the clock, **the Deputy Chairman** in the Chair.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली दुग्ध योजना का प्रबंधकीय स्वरूप

*81. **श्री राम जेठमलानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विगत दशक में विभिन्न विशेषज्ञ समितियों ने दिल्ली दुग्ध योजना के प्रबन्धकीय स्वरूप में व्यापक परिवर्तन करने की सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न समितियों के नाम क्या हैं, उनके द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक समिति द्वारा किन-किन तारीखों की सिफारिशें की गई थीं ;

(ग) क्या सरकार ने विगत वर्षों में दिल्ली दुग्ध योजना के प्रबन्धकीय स्वरूप में कोई परिवर्तन किये हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि कोई परिवर्तन नहीं किये गये हैं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना को निरंतर आर्थिक हानि हो रही है जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा की जा रही है ;

(च) यदि हां, तो दिल्ली दुग्ध योजना को क्रमशः 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के वित्तीय वर्षों के दौरान कितनी आर्थिक हानि हुई है ; और

(छ) इस हानि के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) तथा (ख) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन हेतु सुझाव देने के लिए गठित सरकारिया/बालाकृष्णन समिति ने अपनी 14 दिसम्बर, 1989 की रिपोर्ट में टिप्पणी/सुझाव दिया कि दिल्ली दुग्ध योजना के संबंध में वर्तमान व्यवस्थाएं उपभोक्ताओं की सुविधाओं तथा लाभ के लिए सहायक नहीं होंगी और आपूर्ति की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सबसे उचित कार्य प्रणाली यह होगी कि इसे दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के अंतर्गत एक सहकारी समिति के रूप में गठित किया जाए जो कि इस समय, दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा किए जा रहे कार्यों को अपने हाथ में ले सकती है । इस समिति के सदस्यों में उत्पादकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के भी प्रतिनिधि शामिल किए जा सकते हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार ने विचार किया और यह पाया

कि दिल्ली में प्रचुर मात्रा में दुग्ध उत्पादन का अभाव होने के कारण दिल्ली दुग्ध योजना सहकारी समिति के रूप में संगठित करना संभव नहीं हो सकेगा ।

(ङ) दिल्ली दुग्ध योजना के योजना तथा योजनेतर व्यय की पूर्ति कृषि मंत्रालय (पशु पालन और डेयरी विभाग) के बजटीय अनुदान द्वारा भारत की संचित निधि से की जाती है । दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की बिक्री की प्राप्तियों को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है । प्राप्तियों से अधिक हुई व्यय को निवल बजटीय समर्थन से पूरा किया जाता है ।

(च) वित्तीय वर्षों 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के लिए निवल बजटीय समर्थन (अनन्तिम) नीचे दर्शाया गया है ।

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	वर्ष	निवल बजटीय समर्थन
1.	1991-92	35.12
2.	1992-93	33.18
3.	1993-94	15.11

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना दिल्ली के उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक दूध की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी । दिल्ली दुग्ध योजना के कार्य-संचालन में इस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता रहा है । दूध का विक्रय मूल्य उत्पादन लागत से कम होने के कारण दिल्ली दुग्ध योजना के कार्य-संचालन के लिए निवल बजटीय समर्थन अनिवार्य हो जाता है ।

Unauthorised Occupation of Residential Accommodation by former Ministers/MPS & other VIPs

*82. SHRI PRAMOD MAHAJAN:
SHRI VIREN J. SHAH:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of bungalows or flats which are under unauthorised occupation of ex-Mps, ex-Ministers, ex-Governors and other VIP's including former Secretaries of the Government of India which either in MP's Pool or in General Pool as on 30th June, 1994;

(b) what are the names of these unauthorised occupants and the arrears of dues outstanding against each as on 30th June, 1994;

(c) how many bungalows/flats under unauthorised occupation were got vacated during the year 1993-94 and so far in 1994 and what are the details thereof;

(d) what steps Government have so far taken or propose to take to get the remaining premises vacated from each of these unauthorised occupants and to recover the arrears of dues from each of them;

(e) what are the details of cases pending at present in courts and since when these are pending and in how many cases stay has been granted by the courts and the number and details of cases in which appeals have been filed and with what results; and

(f) what steps Government have taken or propose to take to get the pending cases in the courts expedited?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SMT. SHEILA KAUL): (a) There are 16 bungalows and flats in unauthorised occupation of Ex-Ministers, Ex-MP's, Ex-Governors and other VIPs in General Pool.

(b) The details of these unauthorised occupants in General Pool and the amount of arrears due against each is